



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032022-234290
CG-DL-E-23032022-234290

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 17, 2022/फाल्गुन 26, 1943

No. 144]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 17, 2022/PHALGUNA 26, 1943

भारतीय भेषजी परिषद्

(भेषजी अधिनियम 1948 के अंतर्गत गठित)

कार्यकारिणी आदेश

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2022

मिसिल सं. 17-1/2021-पी सी आई/9725-924.—“भेषजी अधिनियम 1948 की उपधारा 15 की आवश्यकतानुसार उपधारा 12 के अंतर्गत भारतीय भेषजी परिषद् ने केन्द्रीय परिषद् की निम्नलिखित गोष्ठी में जो प्रस्ताव पारित किये हैं घोषणा करती है कि सभी स्टेकहोल्डरस जैसे संस्थान, परीक्षा प्राधिकरण, साधारण जनता, विद्यार्थी इत्यादि की सूचना हेतु परिषद् की वेबसाइट पर डाले गये हैं।”

क्रम संख्या

गोष्ठी संख्या

गोष्ठी की तिथि

1

113

18 अक्टूबर, 2021

अर्चना मुदगल, निबन्धक—एवं—सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./696/2021-22]

PHARMACY COUNCIL OF INDIA
(Constituted Under the Pharmacy Act, 1948)

EXECUTIVE ORDER

New Delhi, the 16th March, 2022

Ref. No. 17-1/2021-PCI/9725-924.— “As required under section 15 of the Pharmacy Act, 1948, the declarations under section 12 made by resolutions passed at the following meeting of the Central Council are posted on Council’s website for information of all the stakeholders i.e institutions, Examining Authorities, general public, students etc.”

<u>S. No.</u>	<u>Meeting No.</u>	<u>Date of meeting</u>
1	113	18 October, 2021

ARCHNA MUDGAL, Registrar-cum-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./696/2021-22]